फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थीः—देवीलाल विपक्षीः— तुलसीराम

किस्म मुकदमाः—वाद पत्रावली संख्याः— 50/19 सनः— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	28.01.20 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण संशोधित वाद प्रस्तुत करने हेतु नियत हैं। प्रकरण में वादी द्वारा पूर्व में दिनांक 10.01.19 को प्रतिवादी संख्या 6 से 8 के विरूद्ध अपना दावा विड्रो कर लिया गया है। जिससे प्रकरण संशोधित वाद प्रस्तुत करने हेतु नियत किया गया किन्तु वादी द्वारा आदिनांक तक संशोधित वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। आज भी वादी एवं वादी अधिवक्ता प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं है। ना हि कोई संशोधित वाद पेश किया गया है। प्रकरण में दिनांक 14.01.2020 को अन्तिम अवसर दिया जाने के बावजुद वादी एवं वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित वाद प्रस्तुत नहीं किया गया, ना हि पैरवी हेतु कोई उपस्थित हुआ। न्यायालय समय में रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। किन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। जिससे जाहीर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं। अथवा यह मुकदमा अब नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वादी का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया जाता हैं। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर हो। डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) **सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)** **गिर्वा – उदयपुर**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.25 14:13:30 IST
Reason: SelfAttested